COURT OF ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-I, JAMUI

Satyanarayan Sheohare ***Pg. 1/2***

District & Addl. Sessions Judge-I-Cum-Special Judge Sc & St., Jamui.

A.B.P. No. 466/2026

Khaira P.S. case no. 187/2023

Tuntun Kumar Das Vs. State of Bihar

23.05.2026 लक्ष्मीपुर थाना काण्ड संख्या–187/2023, जो भा0न्या0स0 की धारा 341, 323, 307, 354(b), 504, 506 से संबंधित है, के अभियुक्त **टुनटुन कुमार दास,** उम्र लगभग 40 वर्ष, पिता फुलेश्वर दास, निवासी ग्राम दिधरा, थाना लक्ष्मीपुर, जिला जमुई की ओर से भारतीय न्याय सहिता की धारा 482 के अंतर्गत यह आवेदन इस काण्ड में गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर अग्रिम जमानत प्राप्ति हेतु दाखिल किया गया है।

कांड की सूचिका रानी देवी पति–सुनील द्वारा थानाध्यक्ष, थाना लक्ष्मीपुर, जिला जमुई को दिए गए लिखित आवेदन के अनुसार अभियोजन कथानक साररूप से इस प्रकार है कि दिनांक–27.04.2023 को समय लगभग 7:00 बजे सुबह में वह अपने घर के सामने चापाकल पर बर्तन धो रही थी। उसी समय उसका देवर टुनटुन कुमार दास पिता स्व0 फूलेश्वर दास, ग्राम दिधारा थाना लक्ष्मीपुर जिला जुमई ने बिना मतलब के भद्दी–भद्दी गाली देते हुए बोला कि ''तुम चापाकल के पास बर्तन धो के गंदा कर देती हो'' इसी बात पर मैं बोली कि आप गाली–गलौज क्यों कर रहे हो। मैं बर्तन धोने के बाद चापाकल को साफ कर देती हूँ। इतना बोलते ही मेरा देवर टुनटुन कुमार दास ने बोला कि भौसड़ी साली तुम बहुत बोलती हो अभी तुमको बताते है, उसके बाद उसने मेरा बाल पकड़कर जमीन पर पटक दिया और ब्लाउज फाड़ते हुए बोला कि अभी तुम्हारा इज्जत लुटता हूँ, देखता हूँ तुमको कौन बचाता है। उसके बाद मेरा पूरा शरीर के अंग से छेड़कानी करने लगा। जब मैंने इसका विरोध किया तो मेरा देवर बोला कि ''अभी तुमको जान से मार देता हूँ और सामने रखे हुए पत्थर से जान मारने की नियत से मेरे सिर पर मारा जिससे सर फट गया और खून बहने लगा। उसके बाद भी मेरी गर्दन दबाने लगा जब मैं जोर–जोर से चिल्लाने लगी तो आस–पास के ग्रामीण ने आकर मुझे और मेरी इज्जत को बचाया, नहीं तो उसका इज्जत लूट लेता और जान से भी मार देता।'' इस तरह की घटना उसके साथ, उसका देवर बार–बार करता रहता है। उसका पति परदेश में रहकर मजदूरी का काम करता है, इसी का फाइदा उठाकर देवर उसे बार–बार परेशान करता है और गंदी निगाह से देखता है, उसका देवर टुनटुन कुमार दास दबंग एवं असमाजिक तत्व का व्यक्ति है।

जमानत आवेदन में साररूप से कथन किया गया है कि आवेदक अभियुक्त की ओर से इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त कोई अन्य जमानत आवेदन ना ही सत्र न्यायालय में और ना ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन में कथन किया गया है कि आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। जमानत आवेदन में आगे कथन किया गया है

कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है और उसने ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक अभियुक्त और सूचिका के पति सगे भाई हैं तथा एक ही घर में रहते है। जमीन के हिस्से की मांग को लेकर यह झूठा और मनगढ़त मामला दर्ज किया गया है।

आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन में उल्लिखित आधार पर आवेदक अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान करने का अनुरोध किया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया।

मैंने अभिलेख सहित कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि इस मामले का अभियुक्त एवं काण्ड की सूचिका परस्पर देवर भाभी है। प्राथमिकी के अनुसार झगड़े का कारण घर के बाहर लगे चापाकल पर बर्तन धोने से होने वाली गन्दगी है। पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में आवेदक अभियुक्त को द0प्र0स0 की धारा 41(A) का लाभ देकर न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश के साथ भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 308, 354(B), 504, 506 सभी सपठित धारा 34 के लिए आरोप पत्र समर्पित किया। स्पष्ट है कि पुलिस को अनुसंधान के क्रम में आवेदक अभियुक्त की गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं हुई है तथा मामले में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मेरे विचार से आवेदक अभियुक्त को जमानत स्वीकार करना उचित नहीं है। अतः आवेदक अभियुक्त की ओर से दस हजार के दो प्रतिभूओं से समर्पित बंधपत्र समर्पित करने पर जमानत पर जमानत छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सह विशेष न्यायालय, जमुई।

प्रति अग्रसारितः–विद्वान न्यायालय श्रीमति भाविका सिन्हा, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, जमुई।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सह विशेष न्यायालय, जमुई।